न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–303/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00123)

1. ताराचन्द पुत्र ईशरराम, जाति ब्राहाम्ण, निवासी डाबडी बलौदा, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र नन्दराम जाट, निवासी डाबडी बलौदा, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।
2. तहसीलदार नवलगढ, जिला झुन्झुनू।
3. उपखण्ड अधिकारी नवलगढ, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 08.04.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ, जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 09.06.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

आधेवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का तोगड़ा द्वारा कभी भी किसी भी दिनांक को अपीलार्थी की उपस्थित में या अन्य किसी की उपस्थिति में वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान नही किया गया है बल्कि तथाकथित सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.10.2016 पर किसी भी ग्रामवासी के हस्ताक्षर नही है जिसके यह जाहिर नही होता है कि सीमाज्ञान किन–किन व्यक्तियों की उपस्थिति में व किन–किन व्यक्तियों के सामने कराया गया हो, कुछ भी उक्त रिपोर्ट में दर्ज नही है, पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर तहसील कार्यालय में ही रिपोर्ट तैयार की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2017 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस या सुनवाई का तथा साक्ष्य सबूतादि प्रस्तुत करने का कतई कोई अवसर भी नही दिया गया है बल्कि अपीलान्ट के पीठ पीछे प्राकृतिक न्याय के सहज एवं सामान्य सिद्धान्तों की घौर उपेक्षा व उनका उल्लंघन कर अपना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.06.2017 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि लोक अदालत कैम्प तोगड़ा में अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ एवं ना ही दिनांक 09.06.2017 की आदेशिका पर उसके हस्ताक्षर ही है ना ही अपीलार्थी को दिनांक 09.06.2017 को कैम्प तोगड़ाकलां में उपिस्थत होने का कोइ नोटिस ही जारी किया, ना कैम्प तोगड़ाकला में उपस्थित होने को कोई नोटिस ही अपीलार्थीगण को प्राप्त हुआ तथा ना ही अपीलार्थी ने कभी भी नोटिस लेने से इन्कार ही किया,

कतई बाध्य नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार व विधिक प्रावधानों के अनुसार राजस्व लोक अदालत में वे ही प्रकरण रखे जाते है जिन्हे दोनों पक्ष अपनी आपसी रजामन्दी व सर्व सहमति से निपटाना चाहते है प्रस्तुत प्रकरण में किसी भी पक्ष ने परीक्षण न्यायालय को लिखित में या मौखिक रूप से प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत तोगड़ाकलां में रखे जाने व कैम्प में निस्तारित किये जाने का परीक्षण न्यायालय को निवेदन नही किया गया है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी मनमर्जी से समस्त कार्यवाही की गई है।

अधिवक्त अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय नवलगढ द्वारा पारित एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध समयावधि में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 13.06.2017 को राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष गलती से गलत न्यायलाय में प्रस्तुत कर दी इसमें अपीलान्ट का कोई दोष नही है, अपीलान्ट कानूनी प्रक्रियाओं व विधिक प्रावधानों से बिलकूल ही अनभिज्ञ है तथा वकील की सद्भावनापूर्ण गलती से एवं गलत न्यायालय में पेश की गई अपील से अपीलर्थी को उसके न्याय प्राप्ति के वाजिब अधिकारों से वंचित नही किया जाना चाहिये एवं वकील द्वारा की गई गलती से अपीलान्ट को दण्डित नही किया जाना चाहिये, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र न्यायहित में उदारता का नरम रूख अपनाते हुए प्रार्थना पत्र मियादतोषी स्वीकार किया जाकर अपील समयावधि में शुमार मानी जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी के अभिभाषक ने सहवन से व विधिक अज्ञानता से उसने दिनांक 13.06.2017 को भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी थी एवं राजस्व अपील एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होने अपने आदेश दिनांक 13.06.2017 द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये जाने एवं स्थगन आदेश जारी किये जाने के आदेश पारित कर दिये है तो ऐसी अवस्था में मे राजस्व अपील अधिकारी सीकर को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को पोषणीयता के आधार पर खारिज नही करना चाहिये था वरन् अपील प्रोपर कोर्ट में प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी को लौटा देनी चाहिये थी इसके सम्बन्ध में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के समय राजस्व अपील अधिकारी सीकर से मौखिक निवेदन भी किया था किन्तु राजस्व अपील अधिकारी सीकर ने अपील ना लौटाकर खारिज कर दी इस कारण अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि विधि का यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि अगर कोई दावा, अपील गलत न्यायालय में यदि प्रस्तुत कर दिया जाता है तो उस न्यायालय को प्रकरण को उचित न्यायालय

न्यायालय को अपील खारिज करने का अधिकार भी नही है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2018 को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 128 रकबा 0.26 हैक्टयर ग्राम डाबड़ी बलौदा में अवस्थित है जिसकी खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा वह आराजी पर खातेदार काश्तकार काबिज है। उन्होनें आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 18 रकबा 0.26 हैक्टयर का सीमाज्ञान पटवार हल्का तोगड़ाकलां द्वारा तहसीलदार नवलगढ के आदेश दिनांक 28.10.2016 आदेश क्रमांक 87 दिनांक 24क.10.2016 के अनुसार ग्राम डाबड़ी बलौदा की वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान मौके पर करवाया गया है, उक्त सीमाज्ञान के अनुसार अपीलान्ट द्वारा उत्तरी सीमा में तारबीन्दी कर रेस्पोडेन्ट की भूमि के अन्दर कर रखी है तथा सीमाज्ञान के बाद उसने अपनी तारबन्दी नही हटाकर रेस्पोडेन्ट की भूमि को दबा रखा है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट को अपनी खातेदारी की भूमि के चारों तरफ पत्थरगढी करवाने का कानूनी अधिकार प्रदत्त है इसलिये पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी होने पर प्रस्तुत किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलान्ट एक चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शान्तिप्रिय व्यक्ति है जो लड़ाई झगड़ा नही कराना चाहता है बल्कि वह कानून में विश्वास रखता है इसके चलते अपीलान्ट जानबुझकर रेस्पोडेन्ट की उत्तरी सीमा में आगे बढ़कर गलत तारबन्दी की है जिसको मना करने पर लड़ाई झगड़ा करने का आमादा है, इसी कारण से रेस्पोडेन्ट ने अपनी भूमि की सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नवलगढ के यहॉ पेश करने पर पटवारी हल्का तोगडाकलां से कराई है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुऐ ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस

अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि प्रकरण में दिनांक 01.05.2017 को प्रकरण दर्ज करने एवं तलबी अनावेदकगण की जाकर पत्रावली दिनांक 17.05.17 पेश होने बाबत नियत की गई, तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली दिनांक 17.05.17 को न्यायालय में पेश नही होकर सीधे ही दिनांक 09.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम तोगड़ाकला में पेश होकर निर्णित हुई है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलान्ट को ना तो सुनवाई का अवसर दिया गया है और ना ही प्रकरण के निस्तारण में विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 को उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायलाय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.06.2017 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।